रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256579 CG-DL-E-23082024-256579

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/ श्रावण 31, 1946

No. 3268]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/ SHRAVANA 31, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3584(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के आसपास पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4030(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है:

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4030(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

5369 GI/2024 (1)

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4030(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"5. मानीटरी समिति. – केंद्रीय सरकार इसके द्वारा एक समिती का गठन करेगी जिसे मानीटरी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

•		
(i)	संभागायुक्त संभाग रीवा	- अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया हो।	- सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी या पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है	- सदस्य;
(iv)	जिला कलेक्टर, सीधी	- सदस्य, पदेन;
(v)	जिला कलेक्टर, सिंगरौली	- सदस्य, पदेन;
(vi)	जिला कलेक्टर, सतना	- सदस्य, पदेन;
(vii)	जिला कलेक्टर, शहडोल	- सदस्य, पदेन;
(viii)	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंगरौली	- सदस्य, पदेन;
(ix)	अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सिंगरौली	- सदस्य, पदेन;
(x)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली	- सदस्य, पदेन;
(xi)	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(xii)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(xiii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य	- सदस्य, पदेन;
(xiv)	क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी	- सदस्य सचिव पदेन।"

- (2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के,

मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे संबंध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (5) मानीटरी समिति मामला-दर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में निर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/62/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4030 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3584(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Son Ghariyal Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4030(E), dated the 14thDecember, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification:

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 4030(E), dated the 14^{th} December, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4030(E), dated the 14th December, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

- "5. **Monitoring Committee**. (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
 - (i) Divisional Commissioner Division, Rewa

-Chairman, ex officio;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisation working – Members in the field of environment nominated by the State Government of

Madhya Pradesh for a period of three years

(iii) One expert in the area of ecology or environment nominated by — Member; the State Government of Madhya Pradesh for a period of three years

(iv) District Collector, Sidhi - Member, ex officio;

(v) District Collector, Singrauli - Member, ex officio;

(vi) District Collector, Satna - Member, ex officio;

(vii) District Collector, Shahdol - Member, ex officio;

(viii) Superintending Engineer, Public Works Department, Singrauli - Member, ex officio;

(ix) Superintending Engineer, Public Health Engineering, Singrauli - Member, ex officio;

(x) Chief Executive Officer of District Panchayat Singrauli - Member, ex officio;

(xi) One Representative of the Town and Country Planning - Member, ex officio; Department

(xii) One Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board - Member, ex officio;

(xiii) One Member of State Biodiversity Board - Member, ex officio;

(xiv) Field Director, Sanjay Tiger Reserve, Sidhi -Member-Secretary,

ex officio.

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) falling in the Ecosensitive Zone, except for the prohibited activities specified as in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro-forma specified in **Annexure-III** appended to this notification.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/62/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide*: notification number S.O. 4030(E), dated the 14th December, 2016.